मुकदमों का विवरण

मनमोहन गोपाल बनाम.

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. (2021 का विविध आवेदन Nos.858-859)

(आपराधिक अपील सं.85-86 2021 का) 20 अक्टूबर, 2023

[एस**.** रवींद्र भाट और अरविंद कुमार**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःरखरखाव और मासिक रखरखाव दोनों के बकाया की वसूली के लिए बहू (मूल सहायक और आर-2) के नेतृत्व में आवेदन।

भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **142-**पति और याचिकाकर्ता**-**ससुर द्वारा लगातार अवज्ञा की गई है**,** जिन्होंने किसी न किसी बहाने से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना बंद कर दिया है**-**पति ने पत्नी को छोड़ दिया है और वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं**-**दस्तावेजों से पता चलता है कि एक अवधि में पति को काफी राशि भेजी गई थी**-**यह याचिकाकर्ता**-**ससुर और पति की जिम्मेदारी है जो पूरी राशि के भुगतान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं**-**जारी किए गए निर्देशः

आयोजित किया गयाः(1).नगरपालिका संख्या 26,27,28,29,30,31 वाली छह निकटवर्ती दुकानों को दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा बिक्री के लिए रखा जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किए जाएं-बिक्री से प्राप्त राशि को प्रारंभिक रूप से छह महीने के लिए एक निश्चित जमा रसीद में जमा किया जाएगा, और इसका ब्याज दूसरे प्रतिवादी/आवेदक को वितरित किया जाएगा-बिक्री नहीं होने की स्थिति में, संपत्ति की कुर्की आवेदक के पक्ष में जारी रहेगी; (2)। पहली मंजिल पर मेसर्स फिटनेस फैक्ट्री जिम एंड स्पा के किराए की कुर्की तब तक जारी रहेगी, जब तक कि याचिकाकर्ता और उसका बेटा निर्देश (1) और रुपये द्वारा प्राप्त राशि के बीच शेष राशि का भुगतान नहीं करते। 25 करोड़; (3)।यदि (2) में दिए गए निर्देशों का एक वर्ष के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो पंजीयक को कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, और 1074

तीन महीने के भीतर, और आवेदक से इस बारे में विकल्प मांगे कि क्या वह अपने नाम पर उक्त परिसर में स्वामित्व का हस्तांतरण करना चाहेगी, या इसकी बिक्री-यदि वह हस्तांतरण का विकल्प चुनती है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक को उस आशय के हस्तांतरण विलेख (वर्तमान निर्देशों के तहत) को निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है,

बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा पंजीकृत की जाएगी, और आवेदक को प्रतीकात्मक कब्जा सौंप दिया जाएगा; (4)।यदि आवेदक हस्तांतरण की मांग नहीं करता है, तो पंजीयक आज से 18 महीने के भीतर उक्त संपत्ति (ऊपर (2) में वर्णित पहली मंजिल पर) की नीलामी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।उपरोक्त निर्देश (1) और (4) के अनुपालन की प्रक्रिया में प्राप्त सभी राशियों का भुगतान आवेदक को किया जाएगा-आदेश उपरोक्त प्रभाव वाले अधिनियम के लिए तैयार किया जाएगा-डिक्री आवेदक को देय और देय कुल राशि को भी वापस करेगी जिसके बदले में दुकानों की बिक्री का आदेश दिया जाता है।[पैरा 18]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ और अन्य [2014] 12 एससीआर 573; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड [1996] 2 सप्लीमेंट।एससीआर 295; चेंगा रेड्डी बनाम एपी राज्य (1996) 10 एससीसी

193 :[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 479-निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2021 की आपराधिक अपील संख्या 85-86 में 2021 का विविध आवेदन संख्या 858-859।सीआरएल में 28.01.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से। ए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2021 का Nos.85 और 86।

रूप:

हरगोविंद झा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री प्रवीणा गौतम (एसी), महेश कुमार, शिवम शर्मा, सुनीत कुमार टोप्पो, सुश्री देविका खन्ना, मेसर्स वीएमजेड चैम्बर्स के लिए श्रीमती वी. डी. खन्ना, सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री वर्णिका गुप्ता, करणवीर गोगिया, लज़ाफीर अहमद बी. एफ., रवि पी. वाधवानी, पवन शुक्ला, सुश्री आकांक्षा त्यागी, शिव राम शर्मा, सुश्री सीमा गुप्ता, विश्वादित्य शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

1075

मनमोहन गोपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर.

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

1. सहमति के साथ, पक्षों के वकील को सुना।वर्तमान विविध आवेदन का निपटारा आपराधिक अपील 1 में किया गया है जिसमें इस अदालत ने आई. पी. सी. के 420,406,468,34,120 बी के

तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 (इसके बाद "आर 2" या "आवेदक" एक दूसरे के स्थान पर) की सास और ससुर (याचिकाकर्ताओं) को जमानत दे दी है। 2.रखरखाव के बकाया और ₹ 1,27,500 के मासिक रखरखाव दोनों की वसूली के लिए वर्तमान आवेदन पुत्रवधू (मूल शिकायतकर्ता और आर 2) के नेतृत्व में हैं।वह इस अदालत से मांग कर रही है कि वह बिलासपुर की पारिवारिक अदालत को सीआरपीसी की धारा 125 (3) के तहत याचिका पर 6 महीने के भीतर इस आधार पर फैसला करने का निर्देश दे कि वह अपनी विधवा मां के साथ रहती है, जिस पर वह मुकदमे के खर्च सहित खर्चों के लिए निर्भर है।

3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता के बेटे, श्री वरुण गोपाल की शादी वर्ष में किसी समय आर 2 से हुई थी। संबंधित समय में, वरुण गोपाल ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत थे।शादी के दो साल के भीतर, वैवाहिक संबंध बिगड़ गए जिससे विभिन्न कानूनी कार्यवाही शुरू हो गईं।आर 2 द्वारा लगाए गए आपराधिक आरोपों के जवाब में, वरुण गोपाल ने अग्रिम जमानत याचिका का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया।तब से वरुण गोपाल ने आपराधिक कार्यवाही या रखरखाव की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है।वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम जमानत की भी मांग की, जिसके लिए इस अदालत द्वारा आदेश पारित किए गए थे कि वे रखरखाव के बकाया के लिए Rs.40 लाख जमा करें।पैसा जमा नहीं होने के कारण अग्रिम जमानत नहीं दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।10 महीने की हिरासत के बाद, इस अदालत ने 12.07.2019 के आदेश द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

4. आपराधिक आरोपों के अलावा, आर 2 एफआई ने परिवार न्यायालय, बिलासपुर में एक मेनटेनैन्स 2 दावे का भी नेतृत्व किया।दिनांक 9.11.2016 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने

1 सीआरएल। ए. नंबर 85-86 2021। 2 वीडियो एमजेसी नं. 14/2016

प्रति माह ₹1 लाख की राशि में अंतरिम रखरखाव प्रदान किया गया।इसके बाद, पति ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका 3 का नेतृत्व किया जिसमें एकतरफा अंतरिम रखरखाव आदेश को दरकिनार करने की मांग की गई थी, जिसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, जबकि आर-2 ने भी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका 4 का नेतृत्व किया था जिसमें वृद्धि की मांग की गई थी और 7.4.2021 के आदेश द्वारा इसे बढ़ाकर ₹ 1,27,500 कर दिया गया था।

5. आवेदक के अनुसार, वरुण गोपाल याचिकाकर्ता का एकमात्र उत्तराधिकारी है और उसे पैतृक संपत्ति में 11 दुकानें विरासत में मिली हैं, जो याचिकाकर्ता को दिनांकित फरमान 29.5.1959 के आधार पर मिली थीं।इसके अलावा, श्री वरुण गोपाल ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पारिवारिक अदालत द्वारा 21.12.2017 दिनांकित एक एकतरफा तलाक की डिक्री प्राप्त की।आर 2 ने बिलासपुर की पारिवारिक अदालत में 8.11.2021 5 पर तलाक को रद्द करने के

लिए एक मुकदमा दायर किया है, जिसका निपटारा लंबित है।इस बीच, पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब उसके दूसरी शादी से दो बच्चे हैं।

6. इससे पहले, इस अदालत ने दिनांक 02.09.2021 के आदेश द्वारा कहा था कि

"मनमोहन गोपाल के विद्वान अधिवक्ता श्री हरगोविंद झा ने यह स्वीकार किया है कि वे 11 दुकानें जो वर्ष 1959 में पारित डिक्री के आधार पर मनमोहन गोपाल के हिस्से में आ गई थीं, अभी भी उनके नियंत्रण में हैं और स्वामित्व हित को स्थानांतरित या विभाजित नहीं किया गया है।वह यह भी स्वीकार करता है कि मनमोहन गोपाल के बेटे और सह-संस्थापक होने के नाते वरुण गोपाल की उक्त 11 दुकानों में रुचि होगी।वास्तव में, श्री हरगोविंद झा, विद्वान अधिवक्ता ने इस हद तक प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल उन संपत्तियों में वरुण गोपाल के हित की सीमा तक रिसीवर की नियुक्ति के लिए सहमति देंगे।" और निर्देश दिया था कि

याचिकाकर्ता/ससुर द्वारा दी गई सहमति पर 11 दुकानें संलग्न करें जो नीचे दिए गए शब्दों में पुनः प्रस्तुत की गई हैं -

"(ए)।वे 11 दुकानें, जिनका विवरण वर्ष 1959 में पारित आदेश में उपलब्ध है, एतद्द्वारा संलग्न हैं।

(ख) यह विचार करने के लिए निष्पादक न्यायालय के लिए खुला होगा कि क्या उक्त दुकानों को किसी अन्य तरीके से बेचने या निपटाने की आवश्यकता है ताकि शिल्पी श्रीवास्तव को रखरखाव के सभी बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

3 सी आर। आर. नं. 90/2017 4 सीआर। आर. नं. 1102/2019

5 असर वाला मामला सं. 139/2022 1077

(ग) जब तक ऐसी कवायद नहीं की जाती है, तब तक उक्त दुकानों से सभी किराए और अन्य आय को निष्पादन न्यायालय के निर्देश और नियंत्रण के तहत बनाए रखने के लिए एक अलग खाते में जमा किया जाएगा।इस प्रकार प्राप्त राशि में से और उसमें से, निष्पादक न्यायालय शिल्पी श्रीवास्तव को भरण-पोषण के लिए ऐसी राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा, जो वह उचित समझे।(घ) यदि किसी भी या सभी दुकानों को बेचने की आवश्यकता है, तो निष्पादक न्यायालय लेखा बनाए रखेगा और जल्द से जल्द इस न्यायालय को वापस कर देगा।"

आवेदक की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. आर 2 की ओर से विद्वान न्यायमित्र सुश्री जसप्रित गोगिया ने कहा कि उक्त 11 दुकानों की नीलामी तीन बार असफल रही क्योंकि दुकानों पर किरायेदारों का कब्जा था।आर 2 के अनुसार, रखरखाव का वर्तमान बकाया 1.25 करोड़ रुपये है। लगभग।(दिनांकित 02.09.21 के आदेश के अनुसार) और आगे दावा करता है कि उसके रखरखाव आदेश के निष्पादन के लिए सभी उपलब्ध

तरीके समाप्त हो गए हैं।ससुर 10 महीने तक जेल में रहे और संपत्ति की नीलामी भी विफल रही।इस स्थिति को देखते हुए, आर 2 अपने बकाया रखरखाव बकाया और भविष्य के रखरखाव के निपटान के साधन के रूप में उक्त दुकानों के स्वामित्व को अपने नाम पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है।विशेष रूप से ग, आर 2 पहली मंजिल पर मेसर्स फिटनेस फैक्ट्री जिम एंड स्पा और भूतल पर कुछ दुकानों के स्वामित्व की मांग कर रहा है जो अधिकतम किराया ले रहे हैं।वह इस अदालत को यह नोट करने के लिए प्रस्तुत करती है कि यदि देय बकाया यानी ₹25 करोड़ का भुगतान किया गया होता, तो आर-2 को ब्याज के रूप में ₹60,000/- से ₹65,000/- प्रति माह मिलेगा और पहली मंजिल के जिम का किराया लगभग ₹55,000/- है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कुछ दुकानें दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत आती हैं और वे प्रति माह ₹3,500/- से कम का किराया लेती हैं और आर-2 कभी भी उन्हें खाली करने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने उन दुकानों में से 6 पगड़ी ले ली है।यह भी दिखाया गया कि निष्पादन न्यायालय ने उसी इमारत की दूसरी मंजिल की छत पर स्थापित मोबाइल टावर से ₹ 15.000 का किराया संलग्न किया है। 8.इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पहले ही पति के हिस्से (यानी उसके बेटे के हिस्से) की सीमा तक दुकानों को कुर्क करने के लिए सहमति दे चुका है।

6 पगड़ी प्रणाली एक किराए की व्यवस्था है जिसमें किरायेदार संपत्ति का सह-मालिक भी होता है, और उसके पास सबलेट करने और बेचने दोनों के अधिकार होते हैं।

7 दिनांकित 2.9.2021 आदेश के अनुसार

02.09.2021 दिनांकित आदेश, जिस पर कभी आपत्ति नहीं की गई थी।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने निष्पादन न्यायालय (बिलासपुर) के समक्ष फिटनेस फैक्ट्री जिम की कुर्की पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई।इसके बाद, पहली बार, याचिकाकर्ता ने अपने रिश्तेदार/किरायेदार श्री अमिताभ श्रीवास्तव 8 के माध्यम से दो तुच्छ आवेदन प्राप्त करके उक्त कुर्की पर आपत्ति जताई, जिसका बिना कोई राहत दिए 9 का निपटारा कर दिया गया।श्री अमिताभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में दूसरे आई. ए. 10 एफ. आई. को वापस लिए गए 11 के रूप में खारिज कर दिया गया और निष्पादन अदालत (तीस हजारी अदालत) के समक्ष श्री अमिताभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में आवेदन को खारिज कर दिया गया।12

9. वकील ने सरकार द्वारा अनुमोदित ड्राफ्ट्समैन द्वारा तैयार की गई 11 दुकानों की स्थल योजना की एक प्रति प्रस्तुत की है।वकील ने आगे उन बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय 13 के निर्देश पर प्रस्तुत किए गए हैं, और दावा किया कि याचिकाकर्ता के खाते में 3-4 करोड़ रुपये थे, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में गलत जानकारी दी है कि उनके पास पैसे नहीं हैं।इसके अलावा, वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि वैवाहिक घर याचिकाकर्ता द्वारा जून, 2018 में लगभग 2 करोड़ रुपये में बेचा गया था।

10. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सास ने सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष दिनांकित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दर्ज किया गया था कि पक्षों ने अपने मामले को सुलझा लिया था और इसके लिए आर 2 को 1.29 करोड़ रुपये की राशि दी जानी थी।हालांकि, आर 2 को कोई पैसा नहीं दिया गया था।

11. अंत में, आर 2 ने इस अदालत से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा क्योंकि उसने 2018 में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां याचिकाकर्ता और उसकी मृत पत्नी ने उस समय लगभग 40 लाख रुपये के बकाया का भुगतान करने का वचन देकर अग्रिम जमानत का लाभ उठाया था।लेकिन इस अदालत को कई आश्वासनों के बावजूद, उनका भुगतान नहीं किया गया।आर-2 ने अवमानना याचिका 14 का भी नेतृत्व किया जहां इस न्यायालय ने संज्ञान लिया लेकिन याचिकाकर्ताओं ने भुगतान नहीं किया और भुगतान करने का फैसला किया

8 2021 का आई. ए. सं. 72797

9 आदेश 29.09.2022 देखें

10 2022 का सं. 169380

11 दिनांकित 29.11.2022 आदेश देखें

12 ए. डी. एल. द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2022।प्रधान न्यायाधीश, तीस हजारी अदालत, दिल्ली 13 दिनांकित 17.3.2023,27.3.2023 आदेशों के माध्यम से

14 (ग) एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में 2018 की संख्या 2204। 2018 1079 का सं. 3727

जेल जाएँ; यहां तक कि दिनांक 13.12.2018 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने मामले को निष्पादन न्यायालय को भेजा, लेकिन कुछ भी सामग्री नहीं की जा सकी क्योंकि याचिकाकर्ता निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे और फिर से नियमित जमानत मामले में, इस अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी।इसलिए, मुकदमेबाजी के इतने दौर के बाद भी, और 5 वर्षों के बाद भी, आर 2 अभी भी उपचारहीन है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री हरगोविंद झा ने कहा कि आर 2 ने केवल अपने पति के खिलाफ रखरखाव आदेश प्राप्त किया है जिसे पति या उसकी संपत्ति से बरामद किया जा सकता है।जब उसका पति जीवित होता है तो याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से आर 2 के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।ऐसा कोई कानून नहीं है जो सीधे ससुर को पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य कर सके।13. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि आर 2 और उसके बेटे के बीच शादी ऑस्ट्रेलिया में अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दी गई थी और इसलिए, सास-ससुर इस मामले में उत्तरदायी नहीं हैं।वास्तव में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आर 2 के नेतृत्व में

दायर याचिका हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद एच. एम. ए.) की धारा 19-16 के तहत विचारणीय नहीं है क्योंकि यह वर्तमान मामले में लागू नहीं है।माँगी गई प्रार्थना एच. एम. ए. की धारा 25-17 का उल्लंघन है।

15 एसएलपी (सीआरएल) 2020 की संख्या 3876-77

16 19.विधवा बहू का रखरखाव।—

(1)एक हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर द्वारा बनाए रखने की हकदार होगी:बशर्ते कि वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो या जहां उसकी अपनी कोई संपत्ति न हो, वह भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो-(क) अपने पति या अपने पिता या माता की संपत्ति से, या

(ख) उसके बेटे या बेटी, यदि कोई हो, या उसकी संपत्ति से।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी दायित्व प्रवर्तनीय नहीं होगा यदि ससुर के पास अपने कब्जे में किसी भी सह-आंशिक संपत्ति से ऐसा करने का साधन नहीं है जिसमें बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है, और बहू के पुनर्विवाह पर ऐसा कोई दायित्व समाप्त हो जाएगा।

17 25.स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव -

(1)इस अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, कोई डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, जैसा भी मामला हो, पत्नी या पति द्वारा इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर, आदेश दे सकता है कि प्रतिवादी आवेदक को उसके या उसके भरण-पोषण के लिए भुगतान करेगा और आवेदक के जीवन से अधिक अवधि के लिए ऐसी सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक राशि का समर्थन करेगा जो प्रतिवादी की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, तो आवेदक की आय और अन्य संपत्ति को ध्यान में रखते हुए [पक्षकारों का आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियां], अदालत को न्यायसंगत लग सकता है, और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, प्रतिवादी की अचल संपत्ति पर आरोप द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।

आर-2 ने अभी तक विदेशी अदालत द्वारा पति के पक्ष में दी गई डिक्री को स्वीकार नहीं किया है और इसके बजाय डिक्री को चुनौती दी है, इसलिए, स्थायी गुजारा भत्ता नहीं ले सकता है।

14. इसके अलावा, ज्ञापन 18 पर उनकी पत्नी ने हस्ताक्षर किए थे, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है और इसलिए, इसे उनके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।अपने जवाबों में, याचिकाकर्ता ने संपत्तियों पर अपने बेटे का सह-आंशिक ब्याज होने के साथ-साथ वैवाहिक घर के लिए बिक्री विचार के रूप में 2 करोड़ रुपये प्राप्त करने से इनकार किया।

15. याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए मामले को निपटाने के लिए 19 जमा किए कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक या दीवानी या निष्पादन के सभी मामलों को वापस लेने या खारिज करने की शर्त के अधीन, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के पूरे दावे के लिए 22 लाख के अलावा 75 लाख रुपये की एकमुश्त और एकमुश्त राशि देने के लिए तैयार है।

निष्कर्ष और निष्कर्ष

16. इस मामले के पिछले इतिहास और इस अदालत के आदेशों ने वरुण गोपाल की पूरी तरह से जिद्दीपन का प्रदर्शन किया है, जिसने पत्नी को छोड़ दिया और लगभग ऑस्ट्रेलिया चले गए।इस अदालत के अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों, जिसमें याचिकाकर्ता के नेतृत्व में एफ़ी डेविट्स फ़ाई और बैंक खाते के विवरण शामिल हैं, से पता चलता है कि एक समय के दौरान वरुण गोपाल को काफी राशि भेजी गई थी।

17. सुब्रत राय सहारा 20, स्किपर कंस्ट्रक्शन 21 आदि के रूप में रिपोर्ट किए गए इस अदालत के पिछले फैसलों में कहा गया है कि अदालत शक्तिहीन नहीं है, लेकिन इसके लिए उचित निर्देश और यहां तक कि फरमान भी जारी कर सकती है।

(2) यदि न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि उप-धारा (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में बदलाव आया है, तो वह किसी भी पक्ष के कहने पर ऐसे किसी भी आदेश को इस तरह से बदल, संशोधित या रद्द कर सकता है जैसा कि न्यायालय उचित समझे।(3) यदि न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि जिस पक्ष के पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया गया है, उसने फिर से शादी कर ली है या, यदि ऐसा पक्ष पत्नी है, कि वह पवित्र नहीं रही है, या यदि ऐसा पक्ष पति है, कि उसने विवाह से बाहर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाए हैं, तो [वह दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसे किसी आदेश को इस तरह से बदल सकता है, संशोधित कर सकता है या रद्द कर सकता है जो न्यायालय उचित समझे]।

18 दिनांकित 22.10.2018।

19 नोट दिनांकित 6.9.23 में।

20 [2014] 12 एस. सी. आर. 573

21 1996 (2) पूरक।एससीआर 295 1081

पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करना।स्किपर निर्माण में, यह देखा गया था

“16. दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति मौजूदा कानूनी ढांचे के पूरक के लिए है-पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए-और इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं।इसकी परिकल्पना उन स्थितियों से निपटने के लिए की गई है जिनसे कानून के मौजूदा प्रावधानों द्वारा प्रभावी और उचित रूप से निपटा नहीं जा सकता है।वास्तव में, हम सोचते हैं कि इस शक्ति को अनिश्चित और असंबद्ध छोड़ देना उचित है ताकि यह दी गई स्थिति के अनुरूप ढाले जाने के लिए पर्याप्त लोचदार रहे।यह तथ्य कि यह शक्ति केवल इस न्यायालय को प्रदान की गई है, और किसी और को नहीं, स्वयं एक आश्वासन है कि इसका उपयोग पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित संयम और सावधानी के साथ किया जाएगा।

चेंगा रेड्डी बनाम ए. पी. 22 के राज्य में, यह "56" मनाया गया था। न्यायपालिका को इस तरह से अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए ताकि अन्याय को रोका जा सके।“समानता बच्चे पैदा करने की उम्र से आगे नहीं जाती है और पक्षों के बीच न्याय करना न्यायिक विवेक की

मजबूरी है।न्यायालय किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक उचित उपाय विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, ताकि उपलब्ध सीमा के भीतर न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और यदि आवश्यक हो तो उक्त उद्देश्य के लिए नए उपकरण बनाए जा सकें।इन मामलों के स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों में हमारी राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करना उचित होगा।

18. वर्तमान मामला-जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वरुण गोपाल और याचिकाकर्ता मोहन गोपाल द्वारा लगातार अवज्ञा आचरण को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने किसी न किसी बहाने से इस अदालत के आदेशों का पालन किया है।यह याचिकाकर्ता और वरुण गोपाल की जिम्मेदारी है जो पूरी राशि के भुगतान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं।इन परिस्थितियों में, यह निर्देश दिया जाता है किः

22 (1996) 10 एससीसी 193

(1) नगरपालिका संख्या 26,27,28,29,30,31 वाली छह निकटवर्ती दुकानों को दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा बिक्री के लिए रखा जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।बिक्री से प्राप्त राशि को एक निश्चित जमा रसीद में जमा किया जाएगा, शुरू में छह महीने के लिए, और इसका ब्याज दूसरे प्रतिवादी/आवेदक को वितरित किया जाएगा।बिक्री न होने की स्थिति में, संपत्ति की कुर्की आवेदक के पक्ष में जारी रहेगी।

(2) पहली मंजिल पर मेसर्स फिटनेस फैक्ट्री जिम एंड स्पा के किराए की कुर्की तब तक जारी रहेगी, जब तक कि याचिकाकर्ता और उसका बेटा वरुण गोपाल निर्देश (1) और रुपये द्वारा प्राप्त राशि के बीच शेष राशि का भुगतान नहीं करते। 1. 25 करोड़।

(3) इस स्थिति में कि (2) में दिए गए निर्देशों का एक वर्ष के भीतर पालन नहीं किया जाता है, पंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि वह कदम उठाए और तीन महीने के भीतर आवेदक से इस बारे में विकल्प मांगे कि क्या वह अपने नाम पर उक्त परिसर में स्वामित्व का हस्तांतरण या इसकी बिक्री करना चाहेगी।यदि वह स्थानांतरण का विकल्प चुनती है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि वह उस प्रभावी अधिनियम के लिए एक हस्तांतरण विलेख (वर्तमान निर्देशों के तहत) को निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा पंजीकृत की जाएगी, और आवेदक को प्रतीकात्मक कब्जा सौंप दिया जाएगा।

(4) यदि आवेदक हस्तांतरण की मांग नहीं करता है, तो पंजीयक आज से 18 महीने के भीतर उक्त संपत्ति (ऊपर (2) में वर्णित पहली मंजिल पर) की नीलामी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) उपरोक्त निर्देश (1) और (4) के अनुपालन की प्रक्रिया में प्राप्त सभी राशियों का भुगतान आवेदक को किया जाएगा।आदेश उपरोक्त प्रभाव अधिनियम के लिए तैयार किया जाएगा।डिक्री

आवेदक को देय और देय कुल राशि को भी वापस करेगी, जिसके बदले में दुकानों की बिक्री का आदेश दिया जाता है।19. यह अदालत न्यायमित्र सुश्री जसप्रित गोगिया के बहुमूल्य योगदान और प्रभाव के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।आवेदनों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

आवेदनों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान